प्रेषक,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
झाँसी

सेवा में,

नगर आयुक्त
नगर निगम, झाँसी

पत्रांकः– मु0चि0अ0 / राट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम / 2020–21 / 9128 दिनांकः– 16/3/21

विषयः–जनपद में तंबाकू पान–मासाला की दुकानों पर गैर तंबाकू उत्पादों जैसे टॉफी, बिस्कुट,चिप्स,कोल्ड ड्रिंक आदि की बिक्री पर रोक एवं तंबाकू उत्पादों की बिक्री के लिए वेंडर लाइसेंस की व्यवस्था किये जाने के संबंध में।

महोदय,

महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ0प्र0 लखनऊ के पत्राकं संख्या राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ / 2019–20 / 8319 दिनांक 24 / 02 / 2020 के द्वारा राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम कोटपा अधिनियम 2003 का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के संबन्ध में प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उ0प्र0 लखनऊ को उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रदेश में तंबाकू पान–मसाला की दुकानों पर गैर तंबाकू उत्पादों जैसे टॉफी, बिस्कुट,चिप्स,कोल्ड ड्रिंक आदि की बिक्री पर रोक एवं तंबाकू उत्पादों की बिक्री के लिए दुकानों की लाइसेंस व्यवस्था किये जानें के निर्देश प्राप्त हुए हैं।

इस सम्बंध में नगर आयुक्त आदेश नगर निगम पत्र दिनांक 03 / 02 / 2018 लखनऊ, एवं अयोध्या, मुरादाबाद, बरेली का, उ0प्र0 सरकार द्वारा गजट हापुड एवं लखनऊ की प्रति भी अवलोकनार्थ प्रेषित की जा रही है। उक्त निर्देशों के अनुपालन तथा जनपद में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यकम के सफल संचालन हेतु कृपया जनपद में तंबाकू एवं पान मसाला की दुकानों पर गैर तंबाकू उत्पादों (जैसे टॉफी, बिस्कुट,चिप्स,कोल्ड ड्रिंक आदि) की बिक्री पर रोक एवं तंबाकू उत्पादो की बिक्री के लिए दुकानों की वेंडर लाइसेंस व्यवस्था हेतु अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

<u>संलग्नकः</u>– उपरोक्तानुसार

भवदीय

o/c मुख्य चिकित्साधिकारी
झाँसी

पत्रांकः– मु0चि0अ0 / राट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यकम / 2020–21 / 9128 दिनांकः–

01. महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये उ0प्र0 लखनऊ।
02. जिलाधिकारी महोदय, झांसी
03. नोडल अधिकारी तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ झांसी
04. अधिशाषी निदेशक यू0पी0वी0एच0ए0 लखनऊ।

o/c मुख्य चिकित्साधिकारी
झांसी